International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास केअनसुलझे मुद्दे: लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती

डॉ. राजकुमार गोयल

सह आचार्य- राजनीति विज्ञान, सेठ बिहारीलाल छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय, अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)

सार-संक्षेप

महात्मा गांधी का मानना था कि भारत के पूर्ण स्वराज का रास्ता ग्राम स्वराज से होकर ही निकल सकता है। उन्होंने एक बार कहा था कि-वास्तविकता यह है कि ग्रामीण भारतीयों को कोई उम्मीद ही नहीं है। वे हर अंजान व्यक्ति पर संदेह करते हैं कि उसका हाथ उन लोगों गले तक पहुंचेगा और जो कोई भी आता है, वह उनका शोषण करने ही आता है। बुद्धिवादियों और श्रमिकों के बीच अलगाव हो गया है जिससे खेती अव्यवस्थित और कमजोर सी हो चुकी है। प्रत्येक सक्रिय कार्यकर्ता को गांवों में प्यार और इस सोच के साथ जाना चाहिए, यह सोचकर कि वहां खेतिहर मजदूर स्त्री-पुरुष पूरे साल रोज़गार में नहीं रहते। वहां पूरे साल काम करने और श्रमशक्ति तथा बुद्धि को इकट्ठा करके काम करने से ही उनका विश्वास जीता जा सकता है। इसलिए भारत में ग्रामीण क्षेत्र के सतत विकास के लिए बुद्धि व श्रम को एक साथ लाना आवश्यक है।मैंने इस आलेख में इन सब पर प्रकाश डालते हुए भारत के ग्रामीण विकास की प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित किया है और गांधीवादी तरीके से उनके निवारण के उपायों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है।

सूचक शब्द: ग्राम स्वराज,आर्थिक विकास, ग्रामीण विकास, योजनाएं, महिला किसान, जलवायु परिवर्तन गांधीवादी पथ।

प्रस्तावना:

हम देख रहे हैं कि भारत में कुछ वर्षों से ग्रामीण आय बढ़ गई है और गांवों में ग़रीबी घटी है। लेकिन शहरी और देहाती लोगों की आय में अंतर काफी बढ़ गया है। स्पष्ट रूप से यह कारण सामने आता है कि है कृषि क्षेत्र का विकास एवं विस्तार अन्य क्षेत्रों की तुलना में धीमी गति से हुआ है और गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर इतने नहीं बढ़े हैं कि कृषि पर आबादी की निर्भरता कम हो जाती। हरित क्रांति के उत्पादकता लाभ पर आठवीं योजना के अंत तक एक तरह से विराम सा लग गया था। परिणाम यह हुआ कि उसके बाद प्रतिव्यक्ति अनाज उत्पादन घट गया। कृषि का बागवानी, पशुपालन और गैर-खाद्य फ़सलों के क्षेत्र में विस्तार तो हुआ लेकिन 1997-1998 से 2004-2005 के दौरान स्वयं कृषि के सकल घरेलू उत्पाद में औसत से सिर्फ 1.9 प्रतिशत की वृद्धि ही हुई। कृषि से आय वृद्धि दर तो और भी घट गई क्योंकि इस अवधि में व्यापार शर्तें कृषि के प्रतिकूल थीं। यह सब कुछ अपर्याप्त मांग और ग्रामीणों की क्रय शक्ति में कमी का सूचक था। कृषि आय की तुलना में कृषि कर्ज बढ़ जाने से आशा की किरण धूमिल पड़ने लगी। इसकी परिणति किसानों की लगातार आत्महत्याओं की संख्या में वृद्धि के रूप में देखने को मिली।

मुख्य आलेख:

भारत में कॉरपोरेट क्षेत्र और उद्योगों के तेज़ विकास के बावजूद आज भी हमारा देश कृषि प्रधान है। देश की आधी से अधिक जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए या तो पूरी तरह या फिर बहुत हद तक किसी न किसी रूप में किसानी कार्य पर निर्भर करती है। ये विविध कार्य या तो कृषि फसलें उगाने, बागवानी, पशुपालन या फिर मछलीपालन जैसे खेती से जुड़े व्यवसायों के रूप में होते हैं। बुनियादी ढांचे और मानव विकास का स्तर कम होने तथा विषमताओं और अनिश्चितताओं से भरे माहौल के कारण ग्रामीण भारत अपनी कल की दुनिया में बदलाव लाए जाने को कभी आशा से तो कभी चिंता से देखता रहा है। जो भी हो, कृषि क्षेत्र में आय के अवसरों में विस्तार गरीबी कम करने का सबसे बड़ा और सशक्त माध्यम है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का आधार है। इतना ही नहीं, देहाती इलाकों में गैर-कृषि क्षेत्र से आमदनी की बहुत संभावनाएं रहती हैं क्योंकि इसका काफी हिस्सा कृषि गतिविधियों से जुड़ा रहता है। इनमें फ़सल कटाई के बाद के कई काम और कृषि उपकरणों के रखरखाव की अनेक गतिविधियां शामिल होती हैं। इस तरह, कृषि से जुड़े आर्थिक कार्यों के विस्तार का ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से इतर कार्यों से होने वाली आमदनी के साथ जुड़ जाने का एक चक्र सा बन जाता है जो उनके जीवन को आशान्वित करके उन्हे गतिमान बनाए रखने में सहयोग देता है।

भारत में,विशेषकर वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि के संकट की पुष्टि, 2003 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा किए गए किसानों की स्थिति के आकलन से और 2004 में दसवीं योजना की मध्यावधि मूल्यांकन से भी हो गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 2005 में कृषि की स्थिति पर विचार के लिए एक उपसमिति बनाई तथा राष्ट्रीय किसान आयोग और योजना आयोग ने जो सूचना व सामग्री दी उसके आधार पर ग्यारहवीं योजना बनाई गई। राष्ट्रीय विकास परिषद ने पहली बार 2007 में अकेले कृषि क्षेत्र पर विचार के लिए विशेष बैठक बुलाई थी। इस बैठक में, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्यारहवीं योजना की कार्यनीति पर विचार किया गया और इस विषय पर प्रस्ताव पारित किया गया। इस विचार-विमर्श से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव तथा ग्रामीण बुनियादी ढांचे के अभाव के अलावा, कमज़ोर प्रौद्योगिकी, कर्ज के लिए रुपये-पैसे की उपलब्धता में देरी तथा विस्तार और विपणन सेवाओं में ढीलापन साफ़ दिखाई देता है जो कृषि कएवं ग्रामीण क्षेत्रों के सामने बड़ी समस्या है।

ग्यारहवीं योजना में कृषि विकास की रफ्तार में उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है जो नौवीं योजना में देखने को मिलीं। गिरावट का यह दौर दसवीं योजना के दौरान भी जारी रहा। परंतु बाद के साम्य में इसमें उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। 2010-11 में खाद्यान्नों का उत्पादन 24 करोड़ 16 लाख टन के शिखर तक पहुंच गया। गेहूं के साथ-साथ दलहनों, तिलहनों और कपास के उत्पादन में भी कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। 2010-11 की अंतिम तिमाही में तो कृषि का कुल उत्पादन 7.5 प्रतिशत की प्रभावशाली विकास दर से हुआ। परिणाम यह हुआ कि इस वर्ष का सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 6.6 प्रतिशत हुआ। साथ ही पाँच वर्षीय योजना में कृषि की विकास दर 3.2 प्रतिशत हो गई। यह सब तब संभव हुआ जब इससे कुछ ही पहले सूखे, बेमौसमी बरसात भीषण बाढ़ और पाले जैसे प्रतिकूल मौसम की मार झेलनी पड़ी थी। दसवीं योजना के दौरान तो कृषि की वृद्धिदर घटकर 2.2 प्रतिशत रह गई।

भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक संसद में पारित कर चुकी है, जिसका उद्देश्य है भोजन को सबके लिए कानूनी अधिकार बनाना। पिछले एक दशक के दौरान महत्वपूर्ण मानवीय आवश्यकत्ताओं के मामले में ठीक रवैया अपनाया जाता रहा है। उदाहरण के लिए इस समय शिक्षा, रोजगार, सूचना और भूमि के (अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए) अधिकार प्राप्त हैं। जब कानूनी पात्रता हो जाएगी, तब भोजन का अधिकार भारतीय लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण कानून है। सबके लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ-साथ कुछ और बातें भी जुड़ी हैं, जैसे- भोजन तक पहुंच,भोजन हजम करना, पेयजल. साफ-सफाई, बुनियादी स्वास्थ्यचर्या और पोषक तत्वों के बारे में ज्ञान।

महत्वपूर्ण बात यह है कि 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि में मानव जीवन की पेयजल, साफ़-सफ़ाई, स्वास्थ्यचर्या और पर्यावरण की स्वच्छता जैसी अनेक जरूरतों के संबंध में हमें यह सीखना है कि ये सेवाएं किस तरह उपलब्ध कराई जाएं। अगर हमने यह नहीं सीखा तो हमारे देश की बदनामीज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसके लिए सुशासन और पात्रता दोनों मुद्दों पर साथ-साथ काम करना होगा।

प्रमुख चुनौतियां:

भंडारण सुविधाओं का एक राष्ट्रीय स्थापित किए जाने की जरूरत है जिसमें अनाज और जल्दी खराब होने वाली जिन्सों की व्यवस्था हो। 1979 में मैने ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम बनाने का एक कार्यक्रम शुरू किया था। ये गोदाम ऐसे डिज़ाइन किए गए थे, ताकि बड़ी में किसानों को अपनी उप की बात है कि फसल कटाई के माद को प्रौद्योगिकी पर भारत में पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि पैदावार और फसल कट जाने के बाद काम आने वाली बुनियादी सुविधाओं का 'विकास नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते अनाजों, फलों और सब्जियों की मात्रा और गुणवत्ता, दोनों को नुकसान हो रहा है। खाद्य सुरक्षा के लिए मानकों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।वर्तमान कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि किसानों को खाद्य प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और कृषि व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा सके। ऐसा करने पर ही कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि उद्योग विज्ञान केंद्रों में परिवर्तित किए जा सकेगे।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक विचलित करने वाला पक्ष है किसान परिवारा पर बढ़ता कर्ज राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार मई 2005 में देश के 48.6 प्रतिशत किसान परिवारों पर कर्ज था और उनमें से ज़्यादातर साहूकारों के चंगुल में थे। कर्जदार परिवारों का अधिकांश भाग 82 प्रतिशत आंध्र प्रदेश में रहता है। दूसरा नंबर तमिलनाडु का है, जहां 74.5 प्रतिशत किसान परिवार कर्जदार बताए गए हैं। सिंचित भूमि वाले प्रदेश पंजाब में भी कर्जदार किसानों का प्रतिशत 65.4 है। महाराष्ट्र में जहां से अक्सर कर्ज के चलते किसानों द्वारा आत्महत्या की ख़बरें आती हैं,54.8 प्रतिशत किसान कर्ज में डूबे हुए हैं और विदर्भ क्षेत्र में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। किसानों की कामयाबी अधिकांशतः मानसून और बाज़ार पर निर्भर करती है। जलवायु परिवर्तन का नतीजा धरती गर्म होने के रूप में सामने आ रहा है। ऐसी हालत में जरूरी है कि हम जलवायु के प्रति लचीली कृषि व्यवस्था का विकास करें। इस काम में पंचायती राज संस्थाना की

मदद ली जा सकती है। इसके लिए समुदाय प्रबंधकों को जलवायु परिवर्तन ख़तरों के चारे में प्रशिक्षित किया जा सकता है, जो जरूरत पड़ने पर स्थानीय समाज की मदद कर सकें। जलवायु परिवर्तन के खतरे तापमान अथवा समुद्र जल स्तर में बढ़ोतरी के रूप में प्रकट हो सकते हैं। केरल के समुद्री तट के अलावा अन्य स्थानों पर भी बड़ी संख्या में समुद्र के किनारे लोग रहते हैं। जरूरत पड़ने पर हमें उनके पुनर्वास के लिए तैयार रहना चाहिए। इन्हें जलवायु शरणार्थी कहा जाएगा, क्योंकि ये वे लोग है जिन्हें अपना घर छोड़ने के बाद मुख्य भूमि पर ही बसाना होगा।

सार्वजनिक नीतियों और मूल्यवृद्धि के बीच संबंध को समझा पाना भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए एक लीटर दूध की जो लागत आती है, उसका 80 प्रतिशत भाग पशु आहार और चारे के रूप में होता है। दुर्भाग्य की बात है कि चारागाह के लिए छोड़ी जाने वाली जमीन घटती जा रही है और किसान चारा उत्पादन पर काफी ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा सोयाबीन जैसे पोषकतत्वों का निर्यात किया जा रहा है। उधर करीब 10 लाख मवेशियों का पर्याप्त पोषक आहार देना मुश्किल हो गया है। पशुआहार और खासतौर से पोषकतत्वों के निर्यात की समीक्षा करने की जरूरत है।

खाद्य मुद्रास्फीति के चालकों की पहचान- उदाहरण के लिए सब्जियों, दालों, दूध, अंडे मांस आदि पर होने वाला खर्च। इस मामले में सामान्य रवैया मददगार नहीं होगा। इसीलिए हमें मूल्य वृद्धि के घटकों को अलग-अलग करके देखने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही, यह भी जरूरी है कि हम उन जिन्सों की पहचान करें, जिनकी पूर्ति और मांग में असंतुलन बना हुआ है, जिसके चलते किसी खास मौसम में मूल्यों में बढ़ोतरी हो जाती है। इस प्रकार की रूपरेखा बना लेने से मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों की पहचान और उन पर नियंत्रण आसान हो जाएगा। बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण पाना राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और 60 हजार पल्सेज विलेजेज प्रोग्राम के खास घटक हैं।घरेलू खाद्य असुरक्षा बढ़ाने में कीमतों की अस्थिरता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह दुर्भाग्य की बात है कि लंबे अरसे से खाद्य मुद्रास्फीति की दर ऊंची बनी हुई है। इसलिए हमें खाद्यमुद्रास्फीति नियंत्रण का राष्ट्रीय मिशन बनाना होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु प्रगति का पथ:

प्रौद्योगिकी परिवर्तन का प्रमुख चालक है। इस पर हम गेहूं और चावल के जीन छोटे करने के संदर्भ में ध्यान दे चुके हैं। छोटे पैमाने पर खेती करने और मछलीपालन के संदर्भ में भी हम मोबाइल टेलीफोनी के लाभ देख चुके हैं। अब हम ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां अनिश्चितता और मौसम की अति का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिक जानकारी और किसानों के काम आने वाली जानकारी में अंतर हमें पाटना है। अभी तक किसान अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करते रहे हैं और उन्हें जो जानकारी मिल पाती है. वह काफी नहीं है। अब ग्रामीण प्रौद्योगिकी का माहौल बदल चुका है और इस क्षेत्र में अनेक निजी व्यवसायी भी आ गए हैं। बीज, कीटनाशक और उर्वरक कंपनियां भी किसानों को सलाह और सूचना देती हैं। कई बार तो साहूकार भी, जो उन्हें अन्य जरूरी चीजों की आपूर्ति करता है, वह प्रसार विशेषज्ञ के रूप में काम करने लगता है। इसीलिए आजकल रसायनों का अवैज्ञानिक और अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, जिससे लागत भी बढ़ती है और पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचता है। बिजली की निःशुल्क आपूर्ति जैसी सरकारी नीतियों के चलते भूजल का

अत्यधिक दोहन हो रहा है जिसके चलते पंजाब और अन्य क्षेत्रों में भूजल स्तर नीचे जा रहा है। प्रौद्योगिकी की बदौलत 60 के दशक में मुख्य हरित क्रांति सफल हो पाई थी। खास ग्रामीण परिवेश की जरूरतें पूरी करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया जाना अभी बाक़ी है। फिलहाल वैज्ञानिक किसी खास क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकी विकसित करने में लगे हुए हैं। सतत और स्थान विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए अनुसंधान के काम में किसानों को भी शामिल करना होगा। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान के वैज्ञानिक ओडिशा के कोरापुट क्षेत्र में आदिवासियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। केरल में केलपेटा में भी वे आदिवासी महिलाओं और पुरुषों के साथ मिलकर ऐसे धान की उन्नत किस्मों के विकास में लगे हुए हैं जो बदलती जलवायु के हिसाब से अपने को ढाल सकें और स्थानीय रूप से इस्तेमाल की जा सके। इस तरह से मिलजुलकर अनुसंधान करने से कलिंग कालाजीरा जैसी धान की उत्तम किस्में तैयार की जा सकी हैं। कृषि उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी विकास के असली फायदे अभी आने हैं। 1992 में मैंने लघु किसान कृषि व्यापार संघ बनाने का प्रस्ताव किया था। इसके जरिये छोटे पैमाने पर उत्पादकों की शक्ति को अर्थव्यवस्था में लगाना था। तब के प्रधानमंत्री स्व. नरसिंहराव और डॉ. मनमोहन सिंह (तब वित्तमंत्री) ने इसकी सराहना की थी। असलियत यह है कि 1992 में डॉ. मनमोहन सिंह ने ऐसे संघ के गठन का एलान भी किया था ताकि कृषि उद्योगों के लाभ छोटे किसानों तक पहुंच सकें। ऐसे संघ मौजूद तो अब भी है, लेकिन इनके जरिये गरीब किसानों तक कोई संसाधन नहीं पहुंच रहे है। जहां कहीं बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है वहाँ कंपनिया अपने उत्पाद बेच पाती हैं। इस संदर्भ में डिप सिंचाई का उदाहरण दिया जा सकता है। कृषि में प्रसार सेवाओं के लाभ इस रूप में सामने आने चाहिए कि लोग देखकर वैसा ही आचरण करें और इस तरह से नयी प्रौद्योगिकी का प्रसार हो सके। किसान से किसान सीखें, इस बात के संगठित प्रयास होने चाहिए। यह काम कृषि विद्यालयों को स्थापना द्वारा किया जा सकता है।

पिछले साढ़े तीन दशकों के दौरान दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में विशेष सफलता मिली है. जिसके चलते हम दुनिया में सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश बन गए हैं। साथ ही, गेहूं और चावल पैदा करने, कपास में जीएम प्रौद्योगिकी की शुरुआत करने के हमारे प्रयास भी जारी हैं। लेकिन, सार्वजनिक नीति और कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी निवेश करने में हम सफल नहीं हो पाए हैं और खासतौर से अनाज भंडारण और जल्दी खराब हो जाने वाली जिन्सों को संभाल पाने के लिए आधारभूत सुविधाएं जुटाने के क्षेत्र में हम विफल रहे हैं। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण और विशेष सुविधाओं की उपलब्धता भी घटी है, जिस अब सुधारा जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मानव संसाधन विकास क्षेत्र में एक बात को तुरंत जरूरत है। वह है, वहां चल रही बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों की रिक्तियों को भरना। कृषि अनुसंधान विकास में एक विशेष पूर्वोत्तर संवर्ग बनाए जाने की जरूरत है। हैदराबाद की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अकादमी को सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान की तर्ज पर विकसित किया जाना चाहिए, जैसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नयी दिल्ली के बारे में किया गया है। इससे कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान संस्थानों के प्रबंधन में सुधार आएगा। हैदराबाद की कृषि अनुसंधान अकादमी को मात्र डिग्रियां बाटने वाले विश्वविद्यालय के रूप में नहीं छोड़ देना चाहिए।

अगले दशक में अधिकांशतः पर्यावरण विज्ञान, अर्थशास्त्र और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना होगा। पर्यावरण की दृष्टि से हमें बुरे परिवर्तनों से निपटने की तैयारी करनी है। अर्थशास्त्र में हमें कृषि के लागत जोखिम प्रतिफल ढांचे में खराबी का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि गांवों की युवा पीढ़ी वहा रहने और खेती व्यवसाय में शामिल होने की इच्छुक नहीं है। हमारी जनसंख्या के 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग 35 वर्ष से कम आयु के है। अतः युवको को खेती में लगाए रखना सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। हम इस समस्या को सभी सुलझा सकते हैं जब खेती को बुद्धिवादी, प्रेरक और आर्थिक रूप से लाभप्रद व्यवसाय बना सके। इसके लिए हमें पैदावार और फसल कटाई के बाद के कामों की तकनीकी रूप से उच्चीकृत करना होगा।

जलवायु परिवर्तन के कारण अंतरराष्ट्रीय अनाज बाजार में अनिश्चितता शुरू हो गई है। यही कारण है कि अगर अनाज आयात करना पड़ता है, तो हम अनाजों तक सबकी पहुंच को कानूनी अधिकार नहीं बना पाएंगे। हमारी खाद्य सुरक्षा का आधार स्वदेशी अन्न उत्पादन होना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है कि खेती को अनाज उत्पादन करने वाली मशीन नहीं समझा जा सकता। यह तो देश को 60 प्रतिशत से ज्यादा लोगों की जीविका की सुरक्षा व्यवस्था है। यही कारण है कि अगर खेती गड़बड़ा जाती है तो अर्थव्यवस्था में कुछ भी ठीक रहने के आसार नहीं बचते। छोटे किसानों को आमदनी के अनेक स्रोत उपलब्ध रहें. इसके लिए जरूरी है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनुसंधान कार्यक्रम चलाए जाए, जिसमें खेती और गैर-खेती के कामों में उसी समय मिलने वाले रोजगार को शामिल किया जाना चाहिए। हमारे किसानों की जीत छोटी है अत: उनका आमदनी के एक ही स्रोत पर निर्भर रहना काफी नहीं होगा। ऐसा इसलिए भी, क्याकि हमारी करीब 60 प्रतिशत कृषि भूमि की वर्षा से सिंचाई की जाती है। इसी तरह से तटीय क्षेत्रों में हमें एक तटीय व्यवस्था अनुसंधान कार्यक्रम चलाने की जरूरत है जिसके अंतर्गत हमें तटीय इलाक़ों की जमीन और समुद्र दोनों ओर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। हमें तटीय क्षेत्रों में समुद्री पानी से सिंचाई करके खेती का आंदोलन शुरू करना होगा और ऐसी किस्में विकसित करनी होंगी जो नमकीन पानी को बर्दाश्त कर सकें। तटीय इलाकों में इस तरह के फार्म पर्यावरण और आर्थिक आधार पर विकसित किए जा सकते है जिससे स्थानीय निवासियों की जीविका की सुरक्षा हो सकेगी और साथ ही तटीय इलाकों के पर्यावरण में भी सुधार होगा।

महिला किसानों की भूमिका को भी महत्त्व देना आवश्यक है:

भारतीय किसानों की 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है और खेतों में काम करने बाल श्रमिकों में 60 प्रतिशत महिलाएं हैं। खेती में महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है जिसके चलते पुरुष आबादी का शहरों की तरफ पलायन कम हो रहा है और महिला किसानों की जरूरतों पर ध्यान दिया जा रहा है। भविष्य में उनके स्वास्थ्य और विकास को ध्यान में रखते हुए ऐसे इलाकों में उनको खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है जहां जलवायु परिवर्तन हो रहा है। 2010-11 के दौरान महिला किसान सशक्तीकरण योजना शुरू की गई है जिसका विस्तार होना चाहिए ताकि महिला किसाना को जनता पर ध्यान दिया जा सके और उनकी जमीन, पानी, प्रौद्योगिकी, ऋण सुविधाएं, बीमा तथा विपणन की त पूरी की जा सके। 12वीं योजना में उपयोगी होगा कि महिला किसाना के लिए एक कद्रीय कृषि कांप की स्थापना की जाए जो महिला किसानों के उपयुक्त प्रशिक्षण क्षमता निर्माण और विपणन सुविधाएं जुटाने तथा वृद्धावस्था पेंशन आदि पर ध्यान दे।छठी

पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान हमनें महिलाओं के विकास का पहला अध्याय शुरू किया था। अब समय आ गया है जब हमें महिला किसानों की जरूरता पर ध्यान देना है क्योंकि खेती वह सबसे बड़ा व्यवसाय है जिसमें हमारे देश की महिलाएं लगी हुई है।

आज हमारे सामने बहुत से अवसर मौजूद है जिनके जरिये हम खेतों को समुचित तकनीकों, सेवाओं और सार्वजनिक नीतियों के मार्फत आर्थिक विकास का एक प्रमुख साधन बना सकते हैं। 160 के दशक में हरित क्रांति सफल हुई थी और उसमें कई तरह की वैज्ञानिक दक्षता, राजनीतिक इच्छाशक्ति और किसानों के उत्साह का मिला-जुला योगदान था। दुर्भाग्य की बात है कि आज अधिकांश किसान अपना व्यवसाय छोड़ने को तैयार बैठे हैं बशर्ते उन्हें कोई वैकल्पिक जीविका मिल जाए। इसी तरह से किसानों के बच्चे खेतों में काम करने की इच्छा नहीं रखते। अब समय आ गया है जब हम गांधीजी की प्रौद्योगिकी और श्रमशक्ति को ग्रामीण क्षेत्रों में इकट्ठा करने की सलाह अपनाकर खेती को अधिक सार्थक बना सकते हैं।

निष्कर्ष व सुझाव:

महात्मा गांधी ने बुद्धि और श्रम को इकट्ठा करने पर जोर दिया था ताकि गांवों का फिर से विकास किया जा सके। मिशाल के तौर पे हम 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-एमजीएनआरजीए' को फिर से व्यवस्थित एवं संयोजित करके इससे अधिकतम लाभ पा सकते हैं और इसे दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सहायता कार्यक्रम बना सकते हैं। इस दिशा में इस प्रकार से प्रयास किए जाने होंगे- श्रम की अवधारणा का विस्तार किया जाए, ताकि उसमें महिलाओं के संदर्भ में कृषि, बालवाड़ी और स्कूलों में मध्याह्न भोजन का संचालन शामिल किया जा सके। मजदूरों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मिलाकर संचालित किया जाए और इसके साथ ही प्रत्येक जिले में एक तकनीकी सहायता संघ की स्थापना की जाए ताकि बुद्धि और श्रमको इकट्ठा लाया जा सके। श्रम को सम्मान दिया जाए और श्रमिकों की सहायता की जाए, ताकि पर्यावरण मित्र जैसे पुरस्कारों को प्राप्त करने में लोग गर्व महसूस करें साथ ही महात्मा गांधी नरेगा टीमों के बढ़िया कामों को मान्यता दी जाए और इनके जरिये जल संभरण विकास, वर्षा जल संचयन, मिट्टी संरक्षण और पादप उर्वरकों के जरिये मृदा- कॉर्बन बैंकों का निर्माण किया जा सके। 100 दिनों से अधिक रोजगार वाला एक कार्यक्रम शुरू किया जाए, जिसके अंतर्गत जल संभरणों को जैव औद्योगिक संभरणों में बदल दिया जाए ताकि सूक्ष्म उद्यमों को चलाने के अवसर मिलें और छोटे ऋण देकर उनकी मदद की जाए। इस तरह से कृषि और गैर-कृषि श्रम अवसरों कासमन्वय किया जाए। इससे दक्ष और अकुशल श्रमिकों को सहायता मिल पाएगी।यदि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम को व्यवस्थित करके प्रभावी तरीके से लागू किया जाए तो मनरेगा कार्यक्रम सचमुच ही मेहनत और बुद्धि को इकट्ठा लाने का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है। और यह कार्यक्रम ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र के विकास की एक नई इबारत लिख सकता है।

संदर्भ:

1. अरोड़ा, वेद प्रकाश. (2012): ‘‘कृषि का ऊंचा उठता मुकाम’’, योजना, वर्ष- 56, अंक- 1,प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 54-58.
2. स्वामीनाथन, एम.एस. (2012): ‘‘कृषि का सतत विकास’’, योजना, वर्ष- 56, अंक- 1,प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 25-28.
3. राय, अमरेन्द्र कुमार. (2012): ‘‘खाद्य सुरक्षा के लिए मजबूत पीडीस’’, योजना, वर्ष- 56, अंक- 1,प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 59-60.
4. भास्कर, भुवन. (2017): ‘‘समग्र विकास के साथ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत संजोता ग्रामीण पर्यटन’’,कुरुक्षेत्र, वर्ष- 64, अंक- 2, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली पृ. 12-14.
5. सौरभ, समीरा. (2017): ‘‘भारतीय कृषि में सूचना एवं संचार’’,कुरुक्षेत्र, वर्ष- 63, अंक- 10, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली पृ. 22-26.
6. सिंह, अशोक. (2018): ‘‘कृषि आय बढ़ाने वाली कम लागत की तकनीकें’’,कुरुक्षेत्र, वर्ष- 64, अंक- 4, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली पृ. 43-46.
7. https://www.jstor.org/stable/41856398
8. https://www.ambujacementfoundation.org/blog/gandhi-on-rural-livelihoods-development